

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2000/चैत्र 18, 1922 शक

अंक-36

अप-2-01 बजे

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

1. सदन के समवेत होते ही श्री नन्द किशोर गर्ग ने इस विषय पर अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था मांगी कि चूंकि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अधिनियम में संसदीय सचिव का कोई उल्लेख नहीं है, अतः क्या संसदीय सचिव मंत्री के समान कार्य कर सकता है और पूर्व दिवस को सदन द्वारा जो सरकारी संकल्प पारित किया गया, उसकी सूचना केवल मंत्री ही दे सकता था ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अधिनियम और विधान सभा नियमावली में कहीं भी संसदीय सचिव के पद का उल्लेख नहीं है, तथापि सदन द्वारा 1.4.1999 को एक संकल्प पारित किया गया था जिसके प्रभाव से संसदीय सचिव वे सभी कार्य कर सकता है, जो उसके सहभागियों द्वारा अन्य विधान मंडलों में किया जाता है । इसी के आधार पर नियम-90 के अंदर सरकारी संकल्प की सूचना को स्वीकार किया गया है ।

अप-2-10 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न : तारांकित प्रश्न संख्या-221, 222 से 228, 230, 231 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये।

तारांकित प्र.सं. 232 से 240 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अतारांकित प्रश्न : अतारांकित प्र.सं. 608 से 632 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अप-3-04 जब

3. **अल्प सूचना प्रश्न :** अल्प सूचना प्रश्न संख्या- 2 एवं 3 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और शिक्षा एवं उद्योग मंत्री ने उनका मौखिक उत्तर दिया।

अप. 3.07 बजे

4. **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये पत्र**

श्री परवेज हाशमी, परिवहन मंत्री ने महिलाओं को मोटर साइकिल के पीछे बैठते या चलाते समय हेडगियर पहनने की छूट के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या-2११/93-ला. /सैक. 9//9११26१/परि./95/1699 दिनांक 4.6.1999 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियां सदन पटल पर रखी ।

अप. 3.09 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

5. डॉ. नरेन्द्र नाथ, शिक्षा मंत्री ने छात्रों की समस्याओं के निबटान की दृष्टि से सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

अप. 3.10 बजे

विशेष उल्लेख

6. निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये:-

1. श्री चरण सिंह कंडेरा
2. कंवर करण सिंह
3. श्री कंवल सिंह
4. श्री भीष्म शर्मा
5. श्री मोहन सिंह बिष्ट
6. श्री अमरीश सिंह गौतम
7. श्री ब्रह्म पाल
8. श्री नरेश गौड़
9. श्री सुशील चौधरी
10. श्री वीर सिंह

अप. 3.33 बजे

गैर सत्कारी सदस्यों के कार्य

7. **गैर सत्कारी सदस्यों के विधेयक**

श्रीमती अंजलि राय ने दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, 2000-2000 का विधेयक संख्या-8 को सदन में पुरःस्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया।

डॉ. जगदीश मुखी ने इस आधार पर विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया कि भारतीय संविधान की धारा-239 एप-3बी के अंतर्गत इस विधेयक के माध्यम से जो कानून बनाये जाने हैं, वह इस विधान सभा की परिधि से बाहर हैं ।

माननीय अध्यक्ष ने इस पर टिप्पणी की कि इस विधेयक पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधि विभाग से दुबारा राय ली जा चुकी है और विषय-वस्तु समवर्ती सूची में होने के कारण विधान सभा इस विषय पर कानून बना सकती है लेकिन इस तरह के कानून केवल दिल्ली में ही लागू हो सकते हैं और विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ भेजा जायेगा ।

श्रीमती अंजलि राय ने विधेयक के पुरःस्थापन हेतु सदन की अनुमति मांगी और अनुमति मिलने पर विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया ।

अप. 3.50 बजे

8. भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन

विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

अप. 3.55 बजे

ज ल पान - अ व का श

9. गैर सत्कारी सदस्यों के संकल्प

§ प § सदन द्वारा श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा 24.3.2000 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा की गई :-

"यह सदन मांग करता है कि दिल्ली की सभी सड़कों की देखभाल और रखरखाव हेतु दिल्ली राज्य सड़क निर्माण एवं रखरखाव निगम का गठन किया जाये ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री माला राम गंगवाल
2. श्री शादी राम
3. डॉ. हर्षवर्द्धन
4. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और प्रस्तावक सदस्य से संकल्प को वापस लेने का अनुरोध किया ।

उसके बाद श्री नन्द किशोर गर्ग ने अपना संकल्प वापस ले लिया ।

अप. 4.57 बजे

§ ब § सदन द्वारा डॉ. हर्षवर्द्धन द्वारा दिनांक 31.3.2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा की गई :-

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में डेयरी मालिकों द्वारा सफाई के सभी मानदंडों एवं सम्पूर्ण शहर में मेन सीवरों के न टूटने एवं उनमें कुड़ा आदि न फंसने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिये युद्धस्तर पर कदम उठाये जायें । दिल्ली की सड़कों एवं गलियों में घूमते एवं समस्या उत्पन्न करते जानवरों को पकड़ने के लिये भी सुदृढ़ रूप से उपाय किये जायें।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री शादी राम
2. श्री शीश फाल
3. श्री राम सिंह नेताजी
4. श्री राम भज
5. डॉ. योगा नन्द शास्त्री {विकास मंत्री}
6. श्री शोएब इकबाल
7. श्री मुकेश शर्मा
8. श्री जय भगवान
9. श्री भीष्म शर्मा
10. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
11. श्रीमती किरण वालिया
12. श्री रमाकान्त गोस्वामी

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से पारित किया गया।

अप. 5.40 बजे

11. शहरी विकास मंत्री द्वारा वक्तव्य

शहरी विकास मंत्री ने श्री नरेश गौड़, श्री रूप चन्द और श्री मतीन अहमद द्वारा बाबरपुर रोड़, पटवाड़ गढ़ में स्थित कब्रिस्तान पर कब्जा किये जाने से संबंधित मामले पर एक वक्तव्य दिया ।

अप. 5.51 बजे

12.

{सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुआ}

{राष्ट्र गान- "जन-गण-मन"}

दिल्ली,

दिनांक : 07.04.2000

एस.के. शर्मा

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART I

(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

FRIDAY, 7th APRIL, 2000 / CHAITRA 18, 1922 (SAKA)

No. : 36

1. 2.01 PM

RULING BY HON'BLE SPEAKER

As soon as the House assembled, Sh. Nand Kishore Garg sought the ruling of the Chair as to whether the Parliamentary Secretary can act as a Minister since the NCT Act makes no mention of Parliamentary Secretary and that a Government Resolution has been passed by the House on the previous day and the notice of which can be given only by a Minister.

Speaker ruled that in Govt. of NCT Act, 1991 and Assembly Rules the post of Parliamentary Secretary does not find mention anywhere. However, the House had passed a Resolution on 1.4.1999 to the effect that the Parliamentary Secretary should perform all such functions which are performed by his counterparts in other Legislatures. It was in the backdrop of this Resolution that he had accepted a notice of a Government Resolution under Rule-90.

2. 2.10 PM

QUESTIONS

STARRED : Starred Questions 221, 222, 228, 230, 231 and supplementaries thereto were asked and orally answered. (Replies to starred questions no. 232 to 240 were laid on the Table.)

UNSTARRED : Replies to unstarred questions 608 to 632 were laid on the Table.

3. 3.04 PM

SHORT NOTICE QUESTION :

Short Notice Questions No. 2 and 3 and supplementaries thereto were asked and orally answered by Minister of Education and Industries.

Contd....2/-

4. 3.07 PM

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

Shri Parvez Hashmi, Minister of Transport laid on Table a copy each of Hindi and English version of the Notification No. 2(1)/93-Law/Sec.9(126)/TPT/95/1699 dated 4.6.99 regarding making it optional for a woman whether riding on pillion or driving on motor cycle to wear protective headgear.

5. 3.09 PM

STATEMENT BY MINISTER

Dr. Narendra Nath, Minister of Education made a statement regarding delegation of financial powers to the Principals of Govt. Schools with a view to take care of problems of students.

6. 3.10 PM

SPECIAL MENTIONS

The following Members raised issues under Rule 287 :-

1. Shri Charan Singh Kandra
2. Kanwar Karan Singh
3. Shri Kanwal Singh
4. Shri Bhisham Sharma
5. Shri Mohan Singh Bisht
6. Shri Amrish Singh Gautam
7. Shri Brahm Pal
8. Shri Naresh Gaur
9. Shri Susheel Choudhry
10. Shri Veer Singh

7. 3.33 PM

PRIVATE MEMBERS BUSINESS

Smt. Anjali Rai moved for leave to introduce 'The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2000' (Bill No. 8 of 2000)

Dr. Jagdish Mukhi objected to the introduction of the Bill on the grounds that the Bill initiates legislation which is outside the competence of the

Contd...3/-

Assembly under article 239'AA'3(B) of the Constitution of India.

At this, Hon'ble Speaker observed that the opinion of the Law Department of Govt. of N.C.T. of Delhi on this Bill has again been obtained and the subject-matter being in the Concurrent List, the Assembly could make law on the subject, but such a law would be applicable only in Delhi and that the Bill would have to be reserved for the consideration of the President.

Smt. Anjali Rai sought leave of the House to introduce the Bill and the leave having been granted, she introduced the Bill.

8. 3.50 PM

WALK OUT BY B.J.P. MEMBERS

Protesting against the introduction of the Bill, Members of B.J.P. staged a walk-out.

9. 3.55 PM

TEA-BREAK

10. 4.32 PM

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(a) The House resumed further discussion on the following resolution moved by Shri Nand Kishore Garg on 24.03.2000 :

"This House recommends that a Delhi State Road Construction and Maintenance Corporation be constituted with a view to ensure upkeep and maintenance of all main roads in the NCT of Delhi."

Following Members participated in the discussion :

1. Sh. Mala Ram Gangwal
2. Sh. Shadi Ram
3. Dr. Harsh Vardhan
4. Sh. Tarvinder Singh Marwah

Minister of Urban Development replied to the debate and requested the mover to withdraw his Resolution. Sh. Nand Kishore Garg, thereupon, withdrew his Resolution.

4.57 PM

(b) Members resumed further discussion on the following Resolution moved by Dr. Harsh Vardhan on 31.03.2000 :

Contd....4/-

This House resolves that steps be taken at war footing to ensure compliance of all cleanliness norms by the dairy owners in the residential areas of Delhi and to prevent the explosion and blockage of main sewers all over the city. the mechanism of catching the stray cattles creating nuisance on Delhi Roads and streets be also strengthened."

Following Members participated in the discussion :

1. Sh. Shadi Ram
2. Sh. Shish Pal
3. Sh. Ram Singh Netaji
4. Sh. Ram Bhaj
5. Dr. Yoganand Shastri (Minister of Development)
6. Sh. Shoib Iqbal
7. Sh. Mukesh Sharma
8. Sh. Jai Bhagwan
9. Sh. Bhisham Sharma
10. Sh. Tarvinder Singh Marwah
11. Smt. Kiran Walia
12. Sh. Ramakant Goswami

Minister of Urban Development replied to the debate.

The Resolution was put to vote and adopted on voice vote.

11. 5.40 PM

STATEMENT BY MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT

Minister of Urban Development made a statement on the matter regarding encroachment on graveyard on Babar Pur Road, Patwar Garh raised by Naresh Gaur, Shri Roop Chand and Mateen Ahmad.

12. 5.51 PM

The House was adjourned sine-die.
(NATIONAL ANTHEM)

S.K. SHARMA
Secretary

DELHI

Dated: 07.4.2000